



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-2899/JH/4/2025-RU-IV

Date : 12.09.2025

गृह सचिव,
गृह मंत्रालय
भारत सरकार,
35101, पाँचवीं मंजिल,
कर्तव्य भवन -3,
नई दिल्ली - 110001
E.mail: hshso@nic.in

मुख्य सचिव,
झारखंड सरकार,
प्रथम तल, प्रोजेक्ट बिल्डिंग,
धुर्वा, रांची- 834004
E.mail: cs-jharkhand@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति समुदाय के नेता स्व. सूर्य नारायण हांसदा की दिनांक 10/11.08.2025 को जिला गोड्डा (झारखंड) में हुई संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के संबंध में - श्री दीपक प्रकाश, माननीय संसद (राज्यसभा, झारखंड) से प्राप्त दिनांक 16.08.2025 के आवेदन पर आयोग द्वारा की गई स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री निरूपम चाकमा एवं माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के नेतृत्व में जांच दल द्वारा दिनांक 24.08.2025 को प्रकरण में की गई स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

Encl: as above

भवदीय

योगेंद्र प्र. यादव / Yogendra P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: yp.yadav48@gov.in

Copy to:-

- (1) **Shri Deepak Prakash,**
Member of Parliament,
19, Ferozeshah Road,
New Delhi-110001,
Central Delhi, Delhi - 110001,
E.mail: dprakashbjp@gmail.com
- (2) O/o the Hon'ble Member (Dr. AL)
- (3) O/o the Hon'ble Member (Shri Nirupam Chakma)
- (4) NIC for uploading



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.NCST/ATY-2899/JH/4/2025-RU-IV

स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन (REPORT)

विषय:- श्री दीपक प्रकाश, माननीय सांसद (राज्यसभा, झारखण्ड) द्वारा दिनांक 16.08.2025 को प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति समुदाय के नेता स्व. सूर्या नारायण हांसदा की दिनांक 10/11.08.2025 को जिला गोड्डा (झारखण्ड) में हुई संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु प्रकरण की निष्पक्ष जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया।

प्रकरण के आलोक में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री निरुपम चाकमा एवं माननीय सदस्या डॉ. आशा लकड़ा के नेतृत्व में आयोग के जाँच दल द्वारा दिनांक 24.08.2025 को जिला गोड्डा (झारखण्ड) का दौरा किया गया।

दौरे में सम्मिलित अधिकारीगण:

क्र. स.	नाम	पद
1.	श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव	उप सचिव
2.	श्री एच. आर. मीना	परामर्शदाता
3.	श्री राहुल यादव	विधिक सलाहकार
4.	श्री राहुल	अन्वेषक
5.	श्री कुशेश्वर साहू	माननीय सदस्या के निजी सचिव
6.	श्री प्रीति रंजन चाकमा	माननीय सदस्य के निजी सचिव

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना संविधान (नवासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से की गई तथा जो दिनांक 19 फरवरी, 2004 से प्रवृत्त हुआ। उक्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338A के अधीन, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित

आशा लकड़ा | Page

जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन उपरांत किया गया, ताकि संविधान में अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त सुरक्षणों/संरक्षणों के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके।

(2) आयोग का कर्तव्य होगा कि—

- (a) संविधान अथवा समय-समय पर प्रवृत्त किसी विधि अथवा शासन के आदेश द्वारा अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त संरक्षणों से संबंधित सभी विषयों की जाँच एवं अनुश्रवण करना तथा ऐसे संरक्षणों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना;
- (b) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों एवं संरक्षणों से वंचित किए जाने के संबंध में प्राप्त विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना;
- (c) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु योजना निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी होना एवं परामर्श देना तथा संघ एवं किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
- (d) राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष तथा ऐसे अन्य समय पर, जैसा आयोग उपयुक्त समझे, उन संरक्षणों के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;
- (e) ऐसे प्रतिवेदनों में यह अनुशंसा करना कि संघ अथवा किसी राज्य द्वारा उन संरक्षणों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु कौन-कौन से उपाय किए जाने अपेक्षित हैं; तथा
- (f) अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास एवं उन्नयन से संबंधित ऐसे अन्य कार्य संपादित करना, जिन्हें राष्ट्रपति, संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबंधों के अधीन, नियम द्वारा निर्दिष्ट करें।

(3) आयोग को, जब वह उपखंड (a) में वर्णित किसी विषय की जाँच कर रहा हो अथवा उपखंड (b) में उल्लिखित किसी शिकायत की पड़ताल कर रहा हो, तब दीवानी न्यायालय द्वारा किसी वाद की सुनवाई में निहित सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, विशेषतः निम्नलिखित विषयों में—

- (a) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन जारी करना एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उसे शपथ पर परीक्षित करना;
- (b) किसी दस्तावेज की खोज एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता करना;
- (c) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य स्वीकार करना;
- (d) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख अथवा उसकी प्रति का अभ्यावेदन करना;
- (e) गवाहों एवं दस्तावेजों की परीक्षा हेतु आयोग (commission) निर्गत करना;
- (f) अन्य कोई विषय, जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा निर्धारित कर सकते हैं।

प्रकरण में श्री दीपक प्रकाश, सांसद (राज्यसभा, झारखंड) द्वारा आयोग को प्राप्त आवेदन दिनांक 16-08-2025, जोकि अनुसूचित जनजाति समुदाय के नेता स्व. सूर्या हांसदा की झारखण्ड राज्य के गोड्डा जिले में दिनांक 10/11.08.2025 को संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्यवाही के संबंध में है

आभा (2025)

प्रकरण में आयोग द्वारा उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक जिला गोड्डा को नोटिस दिनांक 18.08.2025 भेजकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी जिसके सन्दर्भ में पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला गोड्डा से उत्तर रिपोर्ट दिनांक 19.08.2025 आयोग को प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत आयोग द्वारा इस प्रकरण में स्थलीय जांच/ निरीक्षण करना तय किया गया तदुसार आयोग के संवैधानिक प्रावधान व कार्यप्रणाली के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री निरूपम चाकमा एवं माननीय सदस्या डॉ आशा लकड़ा के नेतृत्व में, ने 24.08.2025, को झारखण्ड राज्य के गोड्डा जिले का दौरा किया। इस दौरे के दौरान स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा पीड़ित परिवार से मुलाकात की गयी और उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, जिला गोड्डा के साथ बैठक की गई। बैठक के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा आयोग को दिनांक 30.08.2025 रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी तत्पश्चात जिला प्रशासन से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 30.08.2025 का विश्लेषण किया गया

1. स्थलीय निरीक्षण

- आयोग का दल जिला अतिथिगृह, गोड्डा में आगमन उपरांत सीधे उस स्थल पर पहुँचा, जहाँ स्व. सूर्या नारायण हांसदा की कथित पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी।
- घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया गया एवं फोटो व वीडियो साक्ष्य संकलित किए गए।
- घटनास्थल के पास कोई भी ज्यादा घना जंगल नहीं था वह एक खुला सा स्थान था स्थान के वीडियो साक्ष्य संकलित किए गए
- यह सुनिश्चित किया गया कि आयोग की कार्यवाही से राज्य पुलिस की चल रही जाँच प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो।
- घटनास्थल पर गोड्डा जिला मुख्यालय के उप पुलिस अधीक्षक(जे.पी.एन. चौधरी) एवं अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। तथापि, आयोग की पूर्व सूचना के बावजूद SIT प्रमुख उप पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित थाना प्रभारियों (ललमटिया, बोआरीजोर एवं महागामा) की उपस्थिति नहीं रही।
- घटनास्थल को उचित रूप से घेराबंदी (सीलिंग) नहीं किया गया था, एवं घटनास्थल पर आस पास गाँव के चरवाहे व पशुओं का आवागमन था किंतु क्राइम सीन को संरक्षित नहीं किया गया था।
- घटनास्थल के आस पास कोई भी गोली चलने के निशान नहीं पाए गए।
- स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति का कोई स्पष्ट प्रमाण स्थल पर नहीं दिखा एवं आस पास के लोगों से पूछा गया तो वो वहाँ हुए गोलीकांड से अनभिज्ञ थे
- आयोग के दौरे के दौरान तक उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल का दौरा/ मुआयना नहीं किया था

2. पीड़ित परिवार से भेंट

- निरीक्षण उपरांत आयोग के दल ने मृतक के परिजनों, उनकी पत्नी एवं माता से भेंट कर घटनाक्रम एवं परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
- उन्होंने बताया की सूर्या हांसदा को जिस दिन गिरफ्तार किया गया वे टाय-फायड से ग्रसित थे और वे अपनी मौसी के घर देवघर में अपना इलाज करवा रहे थे
- सूर्या हांसदा की पत्नी व माताजी ने बताया की इससे पूर्व पुलिस रात को उनके घर में घुसकर धमकाते थे एवं बोलते थे की उसको बुला लो वरना उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा

3 | Page

- उन्होंने बताया की सूर्या हांसदा लगभग सभी पुराने मामले में माननीय न्यायालय से बरी हो चुके है और अब वे बहुत ही शांतिप्रिय जीवन जी रहे थे पुलिस विभाग बार बार उन्हें परेशान कर रहा था
- पीड़ित परिवार ने बताया की उन्हें जानबूझकर इस घटना में शिकार बनाया गया है और उनका मानना है की पुलिस द्वारा सूर्या हांसदा का सुनियोजित तरीके से एनकाउंटर के रूप में उनकी हत्या की गयी है और अब वे न्याय की मांग कर रहे है

3. बैठक

- सायं 06:00 बजे जिला अतिथिगृह, गोड्डा में आयोग द्वारा उपायुक्त(श्रीमति अंजली यादव) एवं जिला पुलिस अधीक्षक(श्री मुकेश कुमार) के साथ बैठक आहूत की गई (उपस्थिति पत्रक संलग्न है)।
- पूर्व सूचना के बावजूद उपरोक्त SIT प्रमुख एवं थाना प्रभारियों की बैठक में अनुपस्थिति रही।
- जिला पुलिस अधीक्षक से कारण पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त अधिकारी बैठक में सम्मिलित नहीं होंगे और आयोग जो भी जानकारी चाहता है, वह सीधे उनसे प्राप्त कर सकता है।
- आयोग द्वारा यह पूछा गया की जब आरोपी व्यक्ति ने निशानदेही पर जाने से पहले यह बताया था की उसने जहां खतरनाक हथियार छिपाए हुए है वहां उसके दस्ते के 10-15 लोग भी छिपे हुए है तो रात्रि 11 बजे के समय में मात्र 08 पुलिस कर्मियों को ही साथ क्यों भेजा गया ? जोकि घटनाक्रम पर संदेह उत्पन्न करता है जिसपर पुलिस अधीक्षक ने यहाँ बताया की यह पुलिस अधीक्षक के ऊपर निर्भर करता है की वो कितने लोग भेज रहे है
- पुलिस अधीक्षक ने यह भी सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण की जाँच CID को हस्तांतरित कर दी गई है तथा जिला पुलिस द्वारा अब तक की सभी कार्यवाहियाँ विधि सम्मत की गई हैं।
- इस पर आयोग ने स्पष्ट किया कि घटनास्थल पर उपस्थित पुलिसकर्मियों के बयान एवं उपस्थिति इस प्रकरण की वास्तविक परिस्थितियों को समझने हेतु अत्यंत आवश्यक हैं।

4. आयोग के स्थलीय निरीक्षण, जिला प्रशासन गोड्डा एवं जिला प्रशासन से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 30.08.2025(प्रति संलग्न है) के विश्लेषण के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती है :-

- I. मामले की गंभीरता एवं संदेहास्पद परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से विस्तृत जाँच प्रारंभ कराए तथा राज्य सरकार को इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए।
- II. पीड़ित पक्ष के परिवार को समुचित सुरक्षा, निःशुल्क विधिक सहायता एवं आवश्यक परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ तथा न्यायिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- III. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रकरण से संबंधित सभी साक्ष्य सुरक्षित एवं संरक्षित रहें तथा उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न हो।

IV. मामले में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं स्वतंत्र जाँच की दृष्टि से यह आवश्यक है कि संबंधित अधिकारियों की भूमिका जाँच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न कर सके। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि—

- a. ललमटिया थाना, बोआरीजोर थाना एवं महागामा थाना के प्रभारी सहित जाँच में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित अन्य अधिकारियों का तत्काल स्थानांतरण किया जाए।
- b. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि उपायुक्त, गोड्डा एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा की भूमिका का वस्तुनिष्ठ परीक्षण किया जाए, ताकि वे किसी भी प्रकार से जाँच की निष्पक्षता को प्रभावित न कर सकें। साथ ही, उनसे अपेक्षित हो कि वे स्वतंत्र जाँच एजेंसी को पूर्ण सहयोग प्रदान करें और जाँच प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाए रखें। यदि आवश्यक हो, तो उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु उनका स्थानांतरण भी किया जाए।

V. उपर्युक्त बिंदुओं पर की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी आयोग को 30 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।

नोट:- आयोग की अनुशंसाएँ सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

दिनांक:- 10.09.2025

हस्ताक्षर



श्री निरुपम चाकमा

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

नई दिल्ली

निरुपम चाकमा / Nirupam Chakma

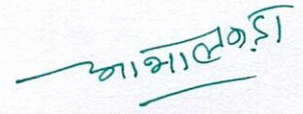
सदस्य / Member

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

भारत सरकार / Government of India

नई दिल्ली / New Delhi



डॉ आशा लकड़ा

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

नई दिल्ली

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra

सदस्य / Member

भारत सरकार / Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

नई दिल्ली / New Delhi